



**SHIVANI NAHAR  
JUDICIAL MAGISTRATE  
FIRST, ROORKEE  
DISTRICT HARIDWAR**




# REJECTION OF PLAINT

## Order 7 Rule-11 CPC

The plaint shall be rejected in the following cases:


- (a) Where it does not disclose a cause of action;
- (b) Where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a timein a time to be by the Court, fails to do so;
- (c) Where the relief claimed is properly valued but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;




**(d) Where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;**


**(e) Where it is not filed in duplicate;**

**(f) Where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9.**





**Provided that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correction the valuation or supplying the requisite stamp-papers, as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.**



आदेश 7,नियम 11 सी०पी०सी० में उन दिशाओं का वर्णन किया गया है जिनमें वादपत्र नामंजूर कर दिया जाएगा लेकिन सभी दशाओं का वर्णन नहीं है जिनके अन्तर्गत वादपत्र नामंजूर कर दिया जाएगा। वे मात्र उदाहरणस्वरूप हैं। तमाम अन्य कारण हैं जिनका वर्णन आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० में नहीं है।

- जहाँ वादपत्र समुचित रूप से हस्ताक्षरित नहीं है जैसा आदेश 6 नियम 14 एवं 15 सी०पी०सी० के अनुसार होना चाहिये, परन्तु वादी अपना पक्ष अपने अभिसाक्ष्य के माध्यम से स्पष्ट कर देता है, वहाँ

मा० गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कैलाश सिंह प्रति हीरालाल डे नामक वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि “वादपत्र का समुचित रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित न होना वादपत्र के खारिज करने का कारण नहीं बनेगा।”

यस०यन०पी० सिंपिंग सरविसेज प्रा०लि० प्रति वर्ल्ड टेंकर कैरियर कारपोरेशन,ए०आई०आ० 2000बाम्बे 34. में अवधारित किया है

“कि इस आधार पर वादपत्र नामंजूर करने के लिए न्यायालय केवल वादपत्र पर विचार करेगा और किसी बात पर नहीं परन्तु जहाँ वादपत्र कतिपय दस्तावेजों पर आधिरित है वहाँ ऐसे दस्तावेजों को भी देखा जा सकता है।”

बलवन्त सिंह प्रति बैंक ऑफ़ इण्डिया नामक वाद में यह अभिनिधारित किया कि

“यदि कुछ प्रतिवादियों के विरुद्ध दावे के एक अंश के सम्बन्ध में वाद—हेतुक नहीं दर्शाया गया है तो वादपत्र को पूर्णरूप से नहीं नामंजूर किया जा सकता है। परन्तु जहाँ यह तर्क उठाया गया है कि वादपत्र, वाद—हेतुक नहीं दर्शाता वहाँ मात्र यह तर्क वाद के नामंजूर करने का कारण नहीं बन सकता है।”



**Thank YOU**

